संख्या:3/2023/I/280030/2023/46-2-23-41/ 17

प्रेषक,

जगराम यादव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2023

विषय- उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. की जिला-गोरखपुर की पिपराईच चीनी मिल में 90 के.एल.पी.डी. की आसवनी की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि रू.60.00 करोड़ को निर्गत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या: 2/2023/I/278180/2023/46-2-23-41/ 17, 21 फरवरी, 2023 का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. के पत्र संख्या-पी.सी./एसएससी/पिपराईच आसवनी/3500, दिनांक 06.02.2023 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या: 2/2023/I/278180/2023/46-2-23-41/ 17, दिनांक 21 फरवरी, 2023 द्वारा चीनी मिल पिपराईच (गोरखपुर) में कोजनरेशन प्लाण्ट, आसवनी एवं सल्फरलेस शुगर प्लाण्ट की स्थापना से सम्बन्धित परियोजना की पी.आई.बी. से अनुमोदित पुनरीक्षित लागत धनराशि रु.65796.96 लाख जिसमें 120 के.एल.पी.डी. की आसवनी की स्थापना के लिए आंकलित लागत रू.22353.96 लाख पर अनुमोदन सम्मिलित है, के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत आसवनी की स्थापना के लिए प्राविधानित धनराशि रू.60.00 करोड़ (रूपया साठ करोड़ मात्र) को अवमुक्त किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के बिन्दु संख्या (7) एवं (8) पर लिपिकीय त्रुटिवश उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. के स्थान पर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. अंकित हो गया है।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों के बिन्दु संख्या (7) एवं (8) पर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के स्थान पर उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. पढ़ा जाये।

कृपया शासनादेश संख्या: 2/2023/I/278180/2023/46-2-23-41/ 17, दिनांक 21 फरवरी, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(जगराम यादव)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 3/2023/I/280030/2023(1)/46-2-23-41/ 17, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
3- आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र., लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जगराम यादव)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।